राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(2)( )स्था/आईसीडीएस/ 5895-6232 जयपुर, दिनांक : 16.01.2023

समस्त उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं

विषय – निदेशालय को प्रस्तुत किये जाने वाले संस्थापन प्रकरणों के सम्बन्ध में ई–फाइलिंग व्यवस्था बाबत् निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्य करने की प्रक्रिया को ई–फाइलिंग व्यवस्था के तहत पेपरलैस करने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय में विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग के क्षेत्राधिकार के आने वाले प्रेषित किये जाने वाले संस्थापन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में निम्नानुसार पूर्ति कर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रकरण निदेशालय को आन–लाइन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. सामान्य प्रकरण (सेवा नियमितीकरण, अवकाश, प्रतियोगी परीक्षा अनुमति सहित सामान्य प्रकृति के प्रकरण) – प्रेषित किये जाने वाले पत्र को मय सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ स्पष्ट पठनीय प्रति पीडीएफ (पृष्ठवार) में संलग्न कर ई पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
2. चयनित वेतनमान सम्बन्धी प्रकरण – (अ) वित्त विभाग के द्वारा जारी तत्समय प्रभावी प्रपत्र में शुद्ध टंकित पूर्ति एवं कार्मिक के हस्ताक्षरशुदा आवेदन पत्र तथा आवेदन पर नियंत्रित अधिकारी/लेखाकार के परीक्षण/टिप्पणी अंकित की जावे।
   (ब) देय तिथि से पूर्व की विगत 7 वर्षो की कार्मिक की एसीआर बाबत् निदेशालय की एसीआर प्रशाखा में नियमानुसार संधारित होना सुनिश्चित होने, जांच रिपोर्ट (ब्लाक/जिला लेवल) निर्णीत/वर्तमान स्थिति का विवरण, दण्डादेशों का विवरण तथा न्यायिक/आपराधिक कार्यवाही की स्थिति सहित इंगित कर ही प्रकरण भिजवाया जावे।
   (स) प्रेषित प्रस्ताव के साथ कार्मिक की प्रथम नियुक्ति आदेश, नियमितीकरण आदेश, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान आदेश जो भी हो, का स्वीकृति आदेश, सभी पदोन्नति आदेश की प्रतियां एवं उक्त अवधि की सेवा निरन्तरता रहने का प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्मिक से सम्बन्धित सभी नियमानुसार दस्तावेज एवं पूर्तियां एकल फोरमेट में पीडीएफ की प्रति संलग्न की जावे।
   (द) वेतन बिलों के आधार पर सेवा पुस्तिका में देय तिथि तक के समस्त वेतन नियतन एवं सेवा सत्यापन पूर्ण कर ही सेवा पुस्तिका पृथक से पीडीएफ संलग्न करें।
4. उक्त सभी प्रकरण कार्मिकवार बाल विकास परियोजना अधिकारी तैयार कर उप निदेशक के माध्यम से अपनी एसएसओ आडी के माध्यम से ई–फाइलिंग द्वारा एवं उप निदेशक कार्यालय के प्रकरण सीधे ही उप निदेशक (प्रशासन) को प्रेषित करेगें।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर